330

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

संख्याः ओ-325/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

राज्य सूचना अधिकारी,
एन0आई0सी0,
योजना भवन, लखनऊ।

दिनांक : इलाहाबाद : फरवरी 06, 2018

विषय :- **मदिरा एवं भांग के समस्त प्रकार के अनुज्ञापनों को ऑनलाइन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-345 ई-2/तेरह-2017-11/2009 दिनांक 02.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा शासनादेश संख्या-07/2018/ई-2/ तेरह-2018-46/2016 दिनांक 25-01-2018 में उल्लिखित समस्त प्रकार के अनुज्ञापन एवं भांग के थोक व फुटकर अनुज्ञापन भी ऑन लाइन निर्गत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

शासन के उपर्युक्त पत्र के अनुसरण में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित किया जाना समपयुक्त होगा:-

"ऑन लाइन प्राप्त आवेदनों को आवेदित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को परीक्षण हेतु ऑन लाइन प्रेषित किया जायेगा। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऑन लाइन प्राप्त करायी गयी परीक्षण आख्या का पुर्नपरीक्षण मुख्यालय पर नियुक्त उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग), संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय एवं अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) उत्तर प्रदेश द्वारा किये जाने के उपरान्त आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऑन लाइन संदर्भित किया जायेगा। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अनुज्ञापन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त अनुज्ञापन निर्गमन की कार्यवाही अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास), उत्तर प्रदेश (इनकी अनुपस्थिति में संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से की जायेगी।

इस सम्बन्ध में प्राप्त ऑन लाइन आवेदन में पायी गयी त्रुटियों के निराकरण हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदक से ऑन लाइन पृच्छा किये जाने की व्यवस्था भी की जायेगी, जिसकी सूचना आवेदक को एस0एम0एस0 एवं ईमेल द्वारा प्राप्त करायी जायेगी, जो आवेदक को उसके रजिस्टर्ड लॉगइन पर दिखायी देनें के साथ ही आवेदक से की गयी पृच्छा का उत्तर ऑन लाइन अपलोड करने की सुविधा भी आवेदक को प्रदान की जायेगी।"

उपर्युक्तानुसार ऑन लाइन आवेदन हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप को ई-लाटरी पोर्टल पर अपलोड कराये जाने वाले देशी शराब/ विदेशी मदिरा/ बीयर के थोक विक्रय के अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र व शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।

अतः कृपया उपर्युक्त प्रकियागत विवरण सहित आवेदन पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप को व्यवहारार्थ ई-लाटरी पोर्टल पर अपलोड एवं व्यवहार हेतु सक्षम कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः ओ-326/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, आबकारी विभाग, बापूभवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर के थोक विक्रय के अनुज्ञापन हेतु आवेदन–पत्र

आवेदित जनपद–..

अनुज्ञापन का प्रकार (सी0एल0–2/एफ0एल0–2/एफ0एल0–2बी/एफ0एल0–2डी)

फोटो

1– आवेदक का नाम (व्यक्तिगत) ....

2– पिता/पति का नाम–..

3– आयु..

4– लिंग– पुरूष/महिला

5– आधार नम्बर–..

6– पैन नम्बर–..

7– मोबाइल नम्बर–..

8– ई–मेल आई0डी0–..

9– आवेदक का वर्तमान पता–

मकान नम्बर–

मोहल्ला/ग्राम–

थाना–

तहसील–

जनपद–

राज्य–

1– सह आवेदक का नाम (यदि भागीदार हो)..............................

फोटो

2– पिता/पति का नाम–..

3– आयु..

4– लिंग– पुरूष/महिला

5– आधार नम्बर–..

6– पैन नम्बर–..

7– मोबाइल नम्बर–..

8– ई–मेल आई0डी0–..

9– सह आवेदक का वर्तमान पता–..

मकान नम्बर–

मोहल्ला/ग्राम–

थाना–

तहसील–

जनपद–

राज्य–

10– अनुज्ञापन शुल्क के लिये संलग्न बैंक ड्राफ्ट का नम्बर–––––––––दिनांक–––––––
धनराशि ––––––––––––––बैंक का नाम/शाखा––––––––––––––––––––––––––

11– प्रतिभूति की धनराशि का विवरण, बैंक ड्राफ्ट नं0––––––––––––दिनांक–––––––
धनराशि–––––––––––––––––––बैंक का नाम/शाखा–––––––––––––––––––

12– हैसियत प्रमाण–पत्र का विवरण–
हैसियत का मूल्य–
जनपद जहाँ से निर्गत–

13— गत वर्ष की आयकर विवरणी— संलग्न है/संलग्न नहीं है।
14— आवेदक के पास थोक दुकान के लिए उपलब्ध परिसर का विवरण—

परिसर की स्थिति—

ग्राम/मोहल्ला— थाना— तहसील— जनपद—

चौहद्दी पूर्व— पश्चिम—
उत्तर— दक्षिण—

परिसर का क्षेत्रफल—

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतया सही है। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/हमारा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी/हमारी लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं/हम इस तथ्य से भिज्ञ हूँ/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है।

संलग्नकः—1. आवेदक का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।
2. बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में।
3. प्रोसेसिंग शुल्क का चालान।
4. आई0टी0आर0 व पैन कार्ड की छायाप्रति।
5. आधार कार्ड की छायाप्रति।
6. हैसियत प्रमाण—पत्र की छायाप्रति।

आवेदक के हस्ताक्षर (सतिथि)

सह—आवेदक के हस्ताक्षर (सतिथि)

(327)

पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ–पत्र

(एक) यह कि शपथकर्ता ....पुत्र/पुत्री/पति...............आयु..............निवासी ....है। उसने जनपद............. के लिये विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन वि0म0–2 हेतु आवेदन किया है।

(दो) यह कि वह समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

(तीन) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(चार) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(पॉच) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

(छः) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड–तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो।

(सात) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है और उसे बकायेदार/काली सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित नहीं किया गया है।

(आठ) यह कि आवेदक राज्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान अथवा माडल शाप का अनुज्ञापी नहीं है।

(नौ) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसके कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।

(दस) यह है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

(ग्यारह) यह कि आवेदक बार काउसिंल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाय।

(बारह) यह कि मैंने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 एवं सम्बन्धित नियमो एवं आदेशों को भली–भॉति समझ लिया है। मैं आबकारी विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करूँगा।

(तेरह) उपरोक्त एक से बारह तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं, यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरा अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक...

स्थान ....

(पब्लिक नोटरी का नाम एवं मुहर) शपथ कर्ता